कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 33/2011

दायर दिनांक:–04/03/2011
निर्णयदिनांक:–13/07/2015

1–रावण पिता नाथुजी पाटीदार उम्र 60 वर्ष निवासी भीलुडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
2–कुरिया पिता नाथू पाटीदार निवासी भीलुडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

–वादी–

बनाम

1–राजस्थान सरकार भूमिघारी मार्फत तहसीलदार ,साहब तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
2–प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय तोरणीया पटवार क्षैत्र भीलुडा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर राजस्थान।

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत्–घोषणा खातेदारी काश्तकार घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने कि वादी के कब्जे की भूमि गत खंसरा नम्बर 1385 रकबा 36 बीघा 17 बीस्वा किस्म चारागाह से बने वर्तमान खसंरा नम्बर 1902, 1903, 1904, एवं 1906 पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अतिक्रमण नहीं करनें एवं वादी को खातेदार काश्तकार धोषित करने। अन्तर्गत धारा 88–188–209 राज. काश्तकारी अधिनियम

वादी कुरिया के पिता नाथु पिता ताजेंग पाटीदार निवासी भीलुडा फला तोरणीया तहसील सागवाडा के गत खसंरा नम्बर 1385 रकबा 36 बीघा 17 बीस्वा से बने वादी के कब्जे के हाल खसंरा नम्बर 1902 रकबा 10 बीस्वा ,1903 रकबा 11 बीस्वा ,1904 रकबा 7 बीघा 6 बीस्वा एवं 1906 रकबा 1 बीघा 11 बीस्वा पर गत संवत् 2027 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी के पिता नाथु की मृत्यु के बाद नाथु के पुत्र वादी कुरिया का आज तक निरन्तर कब्जा चला आ रहा है।

वादी के कब्जे काश्त का वर्तमान खसंरा नम्बर 1902,1903,1904 एवं 1906 रकबा कमशः 10 बीस्वा, 11 बीस्वा, 7 बीघा 6 बीस्वा , 1 बीघा 11 बीस्वा भूमि के पास प्रतिवादी संख्या 2 स्कुल राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय तोरणीया की भूमि खसंरा नंबर 1063/2160 रकबा 4.15 चार बीघा पन्द्रह बीस्वा भूमि पर स्कुल भवन एवं खुली भूमि मैदान है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 काबीज हैं। इस भूमि से वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं हैं।

प्रतिवादी सं 02 राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय तोरणीय के प्रधानाध्यापक स्कुल की भूमि के अतिरिक्त वादी कुरिया के कब्जे वाली भूमि हाल खसंरा नम्बर 1902 रकबा 10 बीस्वा ,

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

1903 रकबा 11 बीस्वा ,1904 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा एवं 1906 रकबा 1 बीघा 11 बीस्वा की भूमि पर जबरन वादी की अनुपस्थिति में वर्ष 2009 को जेसीबी मशीन लगाकर स्कुल की जमीन के अतिरिक्त वादी की भूमि समतल कर मैदान बना दिया है जबकि प्रतिवादी सं 2 को ऐसा करनें का कोई अधिकार नहीं था और न ही वादी सं 02 की यह भूमि है। इसलिये वादी, प्रतिवादी सं 02 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करानें का अधिकारी है कि प्रतिवादी सं 02 वादी के कब्जे के इन खसंरा नम्बरान की भूमि में कब्जा नहीं करें प्रवेश नहीं करें एवं कोट (गढ) का निर्माण नहीं करनें व चार दिवारी कोट नहीं बनाने प्रतिवादी सं 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें।

वादी के पिता नाथु के वक्त से अर्थात संवत् 2027 से निरन्तर वादी के पिता का और अब वादी का 40 वर्ष से कब्जा होने से वादी इस भूमि वर्तमान खसंरा नम्बर 1902 रकबा 10 बीस्वा, 1903 रकबा 11बीस्वा , 1904 रकबा 7 बीघा 6 बीस्वा एवं 1906 रकबा 1 बीघा 11 बीस्वा को अपनें नाम खाते दर्ज करानें धोषणा करानें का अधिकारी है तथा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदार काश्तकार धोषित करानें का वादी अधिकारी है। अतः वादी को इस हाल खसंरा नम्बर 1902 रकबा 10 बीस्वा , 1903 रकबा 11 बीस्वा , 1904 रकबा 7 बीधा 6 बीस्वा एवं 1906 रकबा 1 बीघा 11 बीस्वा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावें।

वादकारण ग्राम भीलुडा के फला तोरणीया में स्थित भूमि हाल खसंरा नम्बर 1902 रकबा 10 बीस्वा , 1903 रकबा 11 बीस्वा , 1904 रकबा 7 बीघा 6 बीस्वा एवं 1906 रकबा 1 बीघा 11 बीस्वा पर वादी के पिता के वक्त से वादी का गत 40 वर्ष से कब्जा होने तथा वादी के पिता की मृत्यु बाद वादी के काबीज होने तथा प्रतिवादी सं 2 द्वारा बिना किसी अधिकार के वादी के कब्जे की भूमि में जबरन प्रवेश कर जेसीबी मशीन लगाकर कब्जा करनें की नियत से भूमि समतल बनाकर इस पर काबीज हो जाना चाहते थे वादी ने प्रतिवादी को वादी की भूमि पर कब्जा नहीं करने का कहा परन्तु इस और ध्यान नही दिया, अभी दस दिन हुए प्रतिवादी सं 02 वादीगण के कब्जे की भूमि के किनारें कोट बनानें खुदाई करनी प्रारम्भ कर दी है जिस पर नींव भर कर कोट बना देना चाहतें है वादी ने इस कार्य को नहीं करनें बाबत प्रतिवादी को कहा तो प्रतिवादी ने ध्यान नहीं दे कर निर्माण कार्य कोट बनाने का जारी रखने से तथा वादीगण के अधिकार पर आघात पहुचनें से उत्पन्न हुआ तथा दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है।

ग्राम भीलुडा फला तोरणीया के हाल खसंरा नम्बर 1902 रकबा 10 बीस्वा, 1903 रकबा 11 बीस्वा, 1904 रकबा 7 बीघा 6 बीस्वा एवं 1906 रकबा 1 बीघा 11 बीस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा चालु राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज करनें घोषणा की जावें ।

प्रतिवादी सं 02 उच्च प्राथमिक विधालय के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वादीगण के कब्जे काश्त के हाल खसंरा नम्बर 1902 रकबा 10 बीस्वा , 1903 रकबा 11 बीस्वा , 1904 रकबा 7 बीघा 6 बीस्वा एवं 1906 रकबा 1 बीघा 11 बीस्वा में प्रवेश नहीं करें न कब्जा करें न किसी प्रकार का निर्माण एवं परकोटे का निर्माण नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं. 01 द्वारा भी जवाब प्रस्तुत किया गया कि, शाला परिसर की भूमि पर परकोटा निर्माण का कार्य एस.एम.सी , के निर्देशन मे चल रहा है। एस.एम.सी. द्वारा दिनांक 01.02.11 को आहुत बैठक मे निर्णय लिया गया कि स्कूल की स्थापना वर्ष 1972 मे जो शाला परिसर बना हुआ है वह थूअर की बाद मे संरक्षित है, उसके स्थान पर परकोटा निर्माण किया जावे । भूमि पूर्व मे ही शाला के कब्जे मे है तथा अतिक्रमण कर किसी प्रकार का निर्माण नही किया गया है वादीगण द्वारा वर्णित खसरा न. 1902,1903,1904 व 1906 को अपने स्वामित्व की बताया गया है जबकि रिकार्ड मे भूमि चारागाह के रुप मे दर्ज है। सरकारी रिकार्ड मे प्रार्थी कही नही है। वादी न.कभी भूमि पर काश्त करने नही आए है। भूमि बीड के रुप मे है जहॉ घास उगती है जिस पर कब्जा शाला का है।

शाला द्वारा उक्त भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र भी दिए है। ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा कार्यक्रम मे भी वृक्षारोपण किया गया है पंचायत द्वारा मैदान समतलीकरण का कार्य भी किया गया है अतः बाद वादी खारिज किया जावे ।

प्रतिवादीगण संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि भीलूडा निवासी श्री रावण पिता नाथु पाटीदार द्वारा वाद प्रस्तुत कर भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा व प्रधानाचार्य राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय तोरणिया तहसील सागवाडा के विरुद्ध खातेदार काश्तकार धोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की मॉग की गई है। रिकार्ड अनुसार मौजा भीलूडा का खसरा न.1902,1903,1904,1906 रकबा क्रमशः 10 बिस्वा,11 बिस्वा, 07 बीघा 06 बिस्वा एवं 1 बीघा 11 बिस्वा किस्म चारगाह दर्ज है। राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय तोरणिया के खाते मे खसरा न. 10637/2160 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है एवं मौके पर कब्जा है। वर्तमान मे रा.उ.प्रा.वि. तोरणिया के प्रधानाध्यापक द्वारा विधालय की आवण्टित भूमि के अलावा खसरा नं. 1904 किस्म चरागाह भीलूडा के अन्दर पश्चिमी दिशा में पक्का परकोटा बनाया जा रहा है। तथा वादीगण भूमि पर कब्जा होना स्वंय साबित करे ।

पत्रावली मे तनकी कायम की गई। साक्ष्य में वादीगण द्वारा संवत 2022 की खतौनी बन्दोबस्त(जमाबन्दी) ग्राम भीलूडा खाता संख्या785 (EX1) मिलान क्षैत्रफल ख.न. 1385(EX2) खसरा गिरदावरी ग्राम भीलूडा संवत् 2027–2031 (EX3), खसरा गिरादावरी संवत् 2024–2027 ग्राम भीलूडा (EX4),खसरा गिरदावरी संवत् 2034–2036 (EX5), खसरा गिरदावरी संवत् 2034–2036 (EX5), खसरा गिरदावरी संवत् 2037–2040 (EX6), खसरा गिरदावरी संवत् 2045–2048 (EX7), खसरा गिरदावरी संवत् 2041–44 (EX8), खसरा परिवर्तित संवत् 2039 वर्ष 1982 ग्राम भीलूडा (EX9), खसरा परिवर्तित निर्धारण वर्ष 1983–84 सवंत् 2042 (EX10) खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत् 2042 ग्राम भीलूडा (EX11), खसरा परिवर्तित निर्धारण वर्ष 1986–87 संवत् 2043 (EX12), खसरा परिवर्तित निर्धारण वर्ष 1987–88 ग्राम भीलूडा संवत् 2044 (EX13), खसरा परिवर्तित निर्धारण वर्ष 1988–89 संवत् 2045 (EX14), खसरा परिवर्तित संवत् 2047 वर्ष 1990 ग्राम भीलूडा (EX15), खसरा परिवर्तित संवत् 2048 वर्ष 1991–92 ग्राम भीलूडा (EX16),खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

परिवर्तित संवत् 2049 वर्ष 1992–93 (EX17),खसरा परिवर्तित संवत् 2050 वर्ष 1993–94 (EX18),खसरा परिवर्तित संवत् 2051 वर्ष 1994–95 ग्राम भीलूडा (EX19), आदि प्रस्तुत किए। गवाह के रुप में वादी रावण पिता नाथु पाटीदार निवासी भीलूडा का शपथ–पत्र (pw1) तथा वादी कुरिया पिता नाथु पाटीदार निवासी भीलूडा का शपथ पत्र (pw2) प्रस्तुत किए । वादी सं. 01 की जिरह पूर्ण की गई । वादी सं. 02 के जिरह हेतु उपस्थित न होने से जिरह समाप्त की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार सागवाडा द्वारा अपने जवाब के साथ जो रिकार्ड प्रस्तुत किया है उसके अनुसार खसरा सं.1902,1903,1904 एवं 1906 रकबा क्रमशः 10 बिस्वा, 11 बिस्वा, 7बीघा, 6बिस्वा व 1बीघा11 बिस्वा चारागाह के रुप मे दर्ज है तथा ख.सं. 10637/2160 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय, तोरणिया भीलूडा के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं वादग्रस्त आराजी से सटा हुआ है।

प्रकरण मे प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया । गवाह के रुप मे प्रतिवादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी सं.1 से वकील वादी द्वारा जिरह पूर्ण की गई । पत्रावली में पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । बहस पर मनन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।–

तनकी सं 01:– आया वादीगण का भीलुडा फला तोरणीया के गत खंसरा नं 1385 रकबा 36 बीघा 17 बीस्वा से बने वादी के कब्जे के हाल खसंरा नं 1902 रकबा 10 बीस्वा ,1903 रकबा 11 बीघा ,1904 रकबा 07 बीघा 6 बीस्वा एवं 1906 रकबा 1 बीघा 11 बीस्वा पर गत सवंत् 2027 से निरन्तर कब्जा काश्त चला रहा है इसलिये वादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा खातेदार काश्तकार घोषित करने का अधिकारी है।–

जिम्में वादी

निर्णयः– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में संवत् 2027 से लेकर 2051 की उक्त नकलें प्रस्तुत की है। खसंरा गिरदावरी संवत् 2024–27 एवं 2028–31 में खसंरा सं 1385 क्रमशं गमीर वल्द भाणजी व मंगला वल्द कुरा के नाम अतिक्रमी के रूप में दर्ज है। संवत् 2037–40 से लेकर 2051 तक नवीन बने खसंरा सं 1902,1903,1904 व 1906 में भिन्न–भिन्न रकबों पर कुरिया पिता नाथू पटेल का अतिक्रमण दर्ज हुआ है। अतिंम खसंरा गिरदावरी जो वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है उसमें खसंरा सं 1902,1903,1906 कुरिया पिता नाथूजी पटेल का नाम अतिक्रमी के रूप में दर्ज है। वादीगण द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए है वह लगभग 20 वर्ष पूर्व के अतिक्रमण से सम्बन्धित है वर्तमान में वादीगण का कोई कब्जा वादग्रस्त आराजी पर हो उसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी सं 01 ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि , वादग्रस्त आराजी का विधालय द्वारा समतलीकरण किया गया था और विधालय द्वारा ही उपयोग में आ रही है। दिनांक 13/05/2011 को तहसीलदार ,सागवाडा द्वारा एक रिपोर्ट भी प्रस्तूत की गई थी जिसमें वादग्रस्त आराजी पर वादीगणका कब्जा नहीं होने तथा अतिक्रमण की रिपोर्ट नहीं होने का तथा इंगित किया गया है। राज्य सरकार के राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

सम्बन्धी आदेशों एवं न्यायालय के आदेशों से भी स्पष्ट है कि चारागाह भूमि का न तो आवण्टन किया जा सकता है और न ही नियमन किया जा सकता है।

कब्जे के प्रस्तुत साक्ष्य में पूर्व में भी वादी सं 01 का नाम कहीं भी कब्जेधारी के रूप में दर्ज नहीं है। अतः प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों के विवेचन के आधार पर तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादीगण किया जाता है।

तनकी सं 02 :– आया वादग्रस्त भूमि पर शाला स्थापना 1972 से प्रतिवादीगण का ही कब्जा है उस पर धास आदि उतरती है उसका उपयोग शाला द्वारा ही किया जा रहा । भूमि बिलानाम राजकीय किस्म चारागाह की है अतः वादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर खातेदार काश्तकार धोषित कराने का अधिकारी नहीं है। –

निर्णयः– प्रतिवादी सं 01 द्वारा अपने शपथ–पत्र में वर्णित किया है कि, वादग्रंस्त आराजी जिम्में प्रतिवादीगण पर समतलीकरण किया गया है। वर्तमान में वादीगण के विरूद्व भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। प्रतिवादी सं 02 की रिपोर्ट के अनुसार भूमि पर कब्जा साबित करना वादीगण का दायित्व है जिसे साबित करने में प्रतिवादीगण अक्षम रहें है। वादग्रस्त आराजी के निकट विधालय भवन विधालय को आवण्टित भूमि पर बना हुआ है तथा विधालय द्वारा वादग्रस्त आराजी पर पश्चिमी दिशा में पक्का परकोटा बनाया गया है। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में भी बिन्दु सं 03 के अनुसार वादग्रस्त आराजी का परिसर जो थुअर की बाड से सरक्षित है को हटाकर इसी स्थान पर परकोटा बनाया जावें। उक्त भूमि शाला सीपना से ही स्कुल के कब्जें में है। अतः तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

दादरजीः– अतः वाद में वर्णित बिन्दुओं के विवेचन पत्रावली में प्रस्तुत रेकार्ड के अवलोकन एवं बहस पर मनन के पश्चात प्रकरण में वाद वादी अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सरें ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार हो, नम्बर से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner